यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्यालय **प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला, उत्तरकाशी** के माह अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री श्रवण कुमार एवं श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 15.10.2018 से 30.10.2018 तक श्री **ए सी कटियार**, **वरि0** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा स्वास्थ्य संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निरीक्षण किया जाता है। इसका भौगोलिक अधिकारी क्षेत्र सम्पूर्ण पुरोला विकास खण्ड उत्तरकाशी जिला है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	बचत/आधिक्य	आवंटन ₹	व्यय ₹	
2015-16			69.55	63.67		285.03	262.60	
2016-17			71.72	71.60		334.40	306.97	
2017-18			78.97	74.66		421.02	401.29	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय		अंतिम अवशेष
				व्यय	वापस धनराशि	
2015-16	RCH-Flexipool	17.99	37.48	40.93	3.28	11.26
	NHM-Additionalities	7.27	21.43	20.63	0.93	7.15
	Immunization	1.76	5.43	5.14	0.20	1.85
2016-17	RCH-Flexipool	11.26	46.49	36.09	5.36	16.30
	NHM-Additionalities	7.15	29.93	18.44	9.35	9.29
	Immunization	1.85	5.68	3.14	1.42	2.97
2017-18	RCH-Flexipool	16.30	32.40	26.83	0.00	21.87
	NHM-Additionalities	9.29	31.97	25.70	0.00	15.56
	Immunization	2.97	5.02	4.45	0.00	3.54

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (स) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः–
सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन → महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन → निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी → मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी→ प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला, उत्तरकाशी।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।,

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर :1- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 81 लाभार्थियों को रुपये 1.10 लाख का भुगतान लंबित रहना ।

जननी सुरक्षा योजना का प्रारम्भ 2005-06 में हुआ था जिसका मुख्य उदेश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि के 16 से 20 सप्ताह पूर्व जे0 एस0 वाई0 कार्ड स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए साथ ही प्रसव के सात दिन पूर्व अथवा प्रसव के दिन तक शहरी लाभार्थी को 1000/- रुपये तथा ग्रामीण लाभार्थी को 1400/- रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए इसके बाद किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा कार्यालय प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला के वर्ष 2017-18 से 2018-19 (अक्टूबर 2108 तक) जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

वर्ष	**ग्रामीण प्रसव**	**शहरी प्रसव**	**ग्रामीण प्रसव हेतु प्रदान की गई धनराशि (1400@प्रति प्रसव)**	**ग्रामीण प्रसव हेतु लंबित भुगतान की धनराशि(1400 @प्रति प्रसव)**	**शहरी प्रसव प्रसव हेतु प्रदान की गई धनराशि (1000@प्रति प्रसव)**	**शहरी प्रसव हेतु लंबित भुगतान की धनराशि (1000@प्रति प्रसव)**	**कुल लंबित भुगतान की धनराशि (ग्रामीण+शहरी)**
2017-18	445	15	406(568400)	39(54600)	14(14000)	01(1000)	40(55600)
2018अक्टूबर तक)	265	11	232(324800)	33(46200)	03(3000)	08(8000)	41(54200)
कुल	710	26	638(893200)	72(100800)	17 (17000)	09(9000)	81(109800)

कुल 736 प्रसव हुए (710 ग्रामीण तथा 26 शहरी) जिनके सापेक्ष कुल 755 प्रसव हेतु रुपये 9.10 लाख का भुगतान (638 ग्रामीण प्रसव हेतु रुपये 8.93लाख एवं 17 शहरी प्रसव हेतु रुपये 0.17लाख) किया गया। जबकि 81 प्रसवों का कुल रुपये 1.10 लाख का भुगतान (72 ग्रामीण प्रसव का रुपये 1.00 तथा 09 शहरी प्रसव का रुपये 0.09 लाख) लेखा परीक्षा तिथि (11/2018) तक लंबित था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि लाभार्थियों द्वारा भुगतान संबन्धित आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध न कराये जाने के कारण बिलंब हुआ। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि क्योकि आशा का कार्य लाभार्थियों को सम्पूर्ण योजना की जानकारी प्रदान करना एवं केंद्र से मिलने वाली सभी सुविधाए प्रदान कराना आशाओं का दायित्व होता है जिस हेतु उन्हे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 81 लाभार्थियों को रुपये 1.10 लाख का भुगतान लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- यूजर चार्जेज के रुप में प्राप्त धनराशि रु. 50755/- को राजकोष समिति खाते में जमा न किया जाना एवं समिति के खातों से आहरण का समायोजन न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा चिकित्सा प्रबन्धन समिति के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को यूजर चार्जेज के रुप में प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत राजकोष में जमा की जायेगी एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा की जायेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला की OPD पंजिका की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि माह मई 2017 एवं जुलाई 2017 में क्रमशः 3076 एवं 3129 रोगियों से ₹10/- रुपया प्रति रोगी की दर से ₹ 30760/- एवं ₹ 31290/- (कुल ₹ 62050/-) पंजीकरण शुल्क के रुप में प्राप्त की गयी। जबकि इसके सापेक्ष ₹ 28100/- एवं ₹ 29240/- (कुल ₹ 57340/-) ही जमा की गयी। आगे, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह सितम्बर 2018 में यूजर चार्जेज के रुप में ₹ 46045/- प्राप्त की गयी थी जो वर्तमान तक शासकीय खाते में जमा नहीं की गयी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की चिकित्सा प्रबन्धन समिति की व्यय पंजिका की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि दिनांक 02.08.2018 को चेक संख्या-702373 के माध्यम से बैक खाते से ₹ 20000/- एवं दिनांक 05.10.2018 को चेक संख्या- 702380 के माध्यम से बैंक खाते से ₹ 20000/- आकस्मिक व्यय हेतु निकाला गया था। उक्त आहरित धनराशियों का समायोजन वर्तमान तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया गया कि अवशेष धनराशि शीघ्र ही राजकोष/चिकित्सा प्रबन्ध समिति के खाते में जमा की जायेगी एवं आकस्मिक व्यय के लिए आहरित धनराशि का समायोजन शीघ्र ही कर लिया जायेगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)	पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..................शून्य................

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

;पद्ध शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

;पद्ध शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	**अवधि**
1-	**डॉ. रमेश चन्द्र आर्य**	**प्रभारी चिकित्साधिकारी**	**01.04.13 से 10.07.13**
2-	**डॉ. ए.एस. भण्डारी**	**प्रभारी चिकित्साधिकारी**	**10.07.13 से 31.07.15**
3-	**डॉ. रमेश चन्द्र आर्य**	**प्रभारी चिकित्साधिकारी**	**01.08.15 से 31.01.15**
4-	**डॉ. सुभाष कुमार**	**प्रभारी चिकित्साधिकारी**	**01.02.18 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)